

संख्या पीसीएच-एचए(5)सी(15)313/89 VOL-III - 6554-65
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में

समस्त जिला पंचायत अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9

दिनांक 19/6/2015

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु कार्य दिवसों का निर्धारण व दिशा निर्देश बारे।
महोदय,

उपरोक्त विषय पर जिला पंचायत अधिकारी मण्डी से पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु कार्य दिवसों का निर्धारण व दिशा निर्देश जो कि 3 जनवरी 2013 को निदेशालय से जारी किये गये थे के कम संख्या 3 पर आपत्ति उठाई है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि की ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण हेतु अकेले अंकेक्षक को 2 दिन के बजाए 1 अतिरिक्त दिन दिया जाये अतः आप से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपना सुझाव देकर निदेशालय को अवगत करवाये ताकि मामले में आगामी कार्रवाई की जा सके।

भवदीय


(सतीश शर्मा)

उप निदेशक, पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश,

दूरभाष संख्या 2629106

ई मेल आई डी Panchbo-hp@nic.in